महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम

(प्रशिक्षण केन्द्र)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I) KERALA, THIRUVANANTHAPURAM (TRAINING CENTRE)

सं.ले.प./प्रशिक्षण/11-2/2025-26/ No.Au/Trg/11-2/2025-26/ दिनांक: 28 नवंबर 2025 Date: 28 November 2025

अनुभागीय आदेश सं.286/ SECTIONAL ORDER NO.286

अनुभागीय आदेश संख्या 284 दिनांक 26.11.2025 के आंशिक संशोधन में, इस कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने उल्लिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मूल रूप से नामित अधिकारी के स्थान पर नामित किया गया है, जो आरसीबीकेआई. चेन्नई में आयोजित किया जाना है।

In partial modification of Sectional Order No.284 dated 26.11.2025, the following official of this office has been nominated in place of the originally nominated official for the training programs mentioned against his name, scheduled to be conducted at RCBKI, Chennai.

Sl No	Name of the Official Originally Nominated (Shri. / Smt.)	Name of the Substitute Nominated (Shri. / Smt.)	Dates of Training	Training Course
1.	Shubendra Kushwah, AAO AMG III/Audit I	Kiran K V, AAO C.Cell/Audit I	01.12.2025 to 05.12.2025	Data Analytics using Knime & Tableau

प्रतिभागी अपने आधिकारिक ईमेल आईडी का उपयोग करके साई क्षमता निर्माण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और प्रतिक्रिया प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अधिकारी को साई क्षमता निर्माण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रभाव मूल्यांकन को पूरा करने के लिए भी सूचित किया जाता है, जिसे प्रशिक्षण के अंतिम दिन से 3 महीने पूरा होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

The participant may complete the registration and feedback process through SAI Training Portal using his Official email ID. The official is also informed to complete the online impact assessment through SAI Training Portal which is to be submitted within 20 days from the date of completion of 3 months from the last day of Training.

(उप महालेखाकार (प्रशासन) के दिनांक 28 नवंबर 2025 के आदेशानुसार)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशिक्षण Senior Audit Officer/Training

प्रतिलिपि:-

1.	. अनुभागीय आदेश बुक/सूचना पट्ट	4.	व.अ.प.ले./प्रशा., रोकड, हक्न .प.ले)-।)/(ले.प॥)
2	. संबंधित अधिकारी	5.	म.ले. (ले.पI)/(ले.पII) के सचिव/निजी सचिव
3	. संबंधित समूह अधिकारी	6.	सी सेल/आईटी समर्थन कक्ष/हिन्दी कक्ष/सामान्य कक्ष/पी ए ओ/ आई ए